

यूएनडीपी योजना के क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज 5 मार्च 2025 को यूएनडीपी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्रीन इंडिया मिशन, भोपाल पुरुषोत्तम धीमन, कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह, वनसंगठनाधिकारी साहिल गर्ग, एल.के.वासनिक, उप संचालक कृष्ण जितेन्द्र कुमार सिंह, उप संचालक उद्यानिकी, आयुक्त नगर निगम सीपी राय व ईई डब्ल्यूआरडी, जिला पचायत के अधिकारीगण, उप वन संरक्षक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थिति थे। कार्यशाला में सरपुड़ा क्षेत्र में वनों के संरक्षण एवं वनाधारित उद्योगों के विकास को लेकर चर्चा की गई।

साथ ही ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वनों की बहाली एवं स्थानीय समुदायों की आजीविका को सशक्त करने के लिए समन्वित कार्योजना पर मन्थन किया गया। वन एवं अन्य विभागों के समन्वय से योजनाओं के प्रभावी

क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

इस कार्यशाला में तय किया गया कि आगामी 21 मार्च को एक विशेष

पर वनों से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करती रहती है। इसी कड़ी में यह एक पहल की गई है ताकि वन क्षेत्र की बहुमूल्य एवं उपयोगी वन संपदा से वहां पर निवासरत लोगों को रोजगार



क्रियान्वयन को लेकर आयोजित की जाएगी। इसी कार्यशाला में वनों के संरक्षण एवं वनाधारित उद्योगों के विकास को लेकर चर्चा की गई।

विदेशी ही ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वनों की बहाली एवं स्थानीय समुदायों की आजीविका को सशक्त करने के लिए समन्वित कार्योजना पर मन्थन किया गया। वन एवं अन्य विभागों के समन्वय से योजनाओं के प्रभावी

माचागोरा डेम के आसपास अवैध शराब पर लगे रोक : गुलाबी गैंग

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। विगत लंबे समय से ग्राम माचागोरा के आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एवं डेम के आसपास देशी-विदेशी

मदिरा की जगह-जगह कुचिया खुलने से यहाँ आपाराधिक घटनायें एवं माचागोरा डेम जो कि वर्तमान में जिले का एक पर्यटक स्थल है, जहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक भ्रमण करने आते हैं, जिनके साथ शराबियों द्वारा अनावश्यक ही

वाद-विवाद के बाद जगह-जगह कुचिया खुलने से यहाँ आपाराधिक घटनायें एवं माचागोरा डेम जो कि



पूर्णिमा वर्षा से इस शराब की बिक्री पर रोक लगाने संपर्क किया।

ग्रामीणों की मांग पर गुलाबी गैंग कमाण्डर

पूर्णिमा वर्षा ने माचागोरा ग्राम सहित आसपास के ग्रामीणों के महिलाओं एवं पुरुषों को एक जट कर गुलाबी गैंग का गठन किया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में चल रही

देशी एवं विदेशी मदिरा की घटनायें सामने आ रही हैं।

इसमें माचागोरा सहित आसपास के ग्रामों में आपे दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पहले भी प्रशासन को दी गई परंतु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने एवं शराब माफियाओं के खुला संरक्षण देने के कारण ग्रामीणों ने गुलाबी गैंग कमाण्डर

देशी एवं विदेशी मदिरा की घटनायें सामने आ रही हैं।

इसमें माचागोरा सहित आसपास के ग्रामों में आपे दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पहले भी प्रशासन को दी गई परंतु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने एवं शराब माफियाओं के खुला संरक्षण देने के कारण ग्रामीणों ने गुलाबी गैंग कमाण्डर

देशी एवं विदेशी मदिरा की घटनायें सामने आ रही हैं।

इसमें माचागोरा सहित आसपास के ग्रामों में आपे दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पहले भी प्रशासन को दी गई परंतु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने एवं शराब माफियाओं के खुला संरक्षण देने के कारण ग्रामीणों ने गुलाबी गैंग कमाण्डर

देशी एवं विदेशी मदिरा की घटनायें सामने आ रही हैं।

इसमें माचागोरा सहित आसपास के ग्रामों में आपे दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पहले भी प्रशासन को दी गई परंतु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने एवं शराब माफियाओं के खुला संरक्षण देने के कारण ग्रामीणों ने गुलाबी गैंग कमाण्डर

बर्ड फ्लू संक्रमण के कारण 21 दिन तक नहीं होगा पॉल्ट्री उत्पादन व मांसाहार भोजन का विक्रय, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

छिंदवाड़ा, देशबन्धु। मार्च 2025धर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यालयीन अदेश 11 पक्की 2025 के अनुसार नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत वाई नंबर- 30 चिकन मार्केट एवं वाई नंबर- 03 चिक्की पालकों के घर एच-5 एन-1, एविन इनफूलुएंजा (बर्ड फ्लू) संक्रमण पाये जाने से इस क्षेत्र पर एक जटिल विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दी है कि यदि एक सपाह के अंदरे पर गुलाबी गैंग द्वारा गांव-गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की शव यात्रा निकाली जायेगी। जिसकी कारण ग्रामीणों ने गुलाबी गैंग कमाण्डर

देशी एवं विदेशी मदिरा की घटनायें सामने आ रही हैं।

इसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वाई

क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पादकों के घर एच-5 एन-1, एविन इनफूलुएंजा के बर्ड फ्लू संक्रमण पाये जाने से इस क्षेत्र पर 06, 07, 08, 29, 30, 31, 41 एवं 45 संक्रमित क्षेत्रों की परिवहन किया गया है।

इसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वाई

क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पादकों के घर एच-5 एन-1, एविन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

सहायता आयुक्त (ए.ए.च.) पशुपालन एवं डेवरी, मत्स्य पालन भारत सरकार के पत्र 28 परवरी 2025 के अनुसार 01 किलोमीटर का

परिचालन क्षेत्र जिसके अंतर्गत पक्षी/मुर्मियां संक्रमित पाई गई हैं, की निगरानी सुनिश्चित की जानी है तथा निगरानी योजना जारी होने से 03 महीने तक कोई भी पक्षी/मुर्मियां उस क्षेत्र में आने ना पाये के लिए निर्देश दिये गये हैं।

इस आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वाई क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर परिवहन की परिवहन किया गया है।

इसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वाई

क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पादकों के घर एच-5 एन-1, एविन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

सहायता आयुक्त (ए.ए.च.) पशुपालन एवं डेवरी, मत्स्य पालन भारत सरकार के पत्र 28 परवरी 2025 के अनुसार 01 किलोमीटर का

परिचालन क्षेत्र जिसके अंतर्गत पक्षी/मुर्मियां संक्रमित पाई गई हैं, की निगरानी सुनिश्चित की जानी है तथा निगरानी योजना जारी होने से 03 महीने तक कोई भी पक्षी/मुर्मियां उस क्षेत्र में आने ना पाये के लिए निर्देश दिये गये हैं।

इस आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वाई क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर परिवहन की परिवहन किया गया है।

इसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वाई

क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पादकों के घर एच-5 एन-1, एविन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

सहायता आयुक्त (ए.ए.च.) पशुपालन एवं डेवरी, मत्स्य पालन भारत सरकार के पत्र 28 परवरी 2025 के अनुसार 01 किलोमीटर का

परिचालन क्षेत्र जिसके अंतर्गत पक्षी/मुर्मियां संक्रमित पाई गई हैं, की निगरानी सुनिश्चित की जानी है तथा निगरानी योजना जारी होने से 03 महीने तक कोई भी पक्षी/मुर्मियां उस क्षेत्र में आने ना पाये के लिए निर्देश दिये गये हैं।

इसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वाई

क्रमांक- 30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पादकों के घर एच-5 एन-1, एविन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।